"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई 2004—श्रावण 8, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/एक/2.—श्री एम. एस. धुर्वे, भा.प्र.से. (सी. जी. 1989), आयुक्त, आदिवासी विकास एवं पदेन विशेष सचिव, आदिमजाति, अनुसूचित जाति विकास विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर का प्रभार भी सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

शुद्धिपत्र

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश, दिनांक 28-6-2004 की कण्डिका-2 की द्वितीय पंक्ति में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इफाड (IFAD) अंकित हुआ है. कृपया उक्त पंक्ति में "प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इफाड (IFAD)" के स्थान पर "स्टेट प्रोग्राम डायरेक्टर, इफाड (IFAD)" पढ़ा जावे.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2004

क्रमांक 1713/1048/2004/1/2/लीव.—श्री एम. एस. पैंकरा, भा.प्र.से. (1991) को दिनांक 23-6-2004 से 3-7-2004 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पैंकरा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पैंकरा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पैंकरा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जुलाई 2004

क्रमांक 4000/अनु.जजा.आयोग/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 अध्याय-2 की कंडिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री तारासिंह राठिया जिला-रायगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करता है.

इनकी कार्यकाल अवधि तीन वर्ष होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. दलेई, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2004

क्रमांक एफ-2-43/राजस्व/2004/सात-1.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री जी. किण्डो (राज्य प्रशासनिक सेवा), वरिष्ठ संयुक्त कलेक्टर को जिला सरगुजा में अपर कलेक्टर की शक्तियां प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. तिवारी, अवर सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2004

क्रमांक 4130/3668/04/19/तक.—छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) की धारा 1 की कण्डिका (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्रमांक 12 सन् 2003) को दिनांक 15 अगस्त, 2004 को राज्य में प्रवृत्त होने की तिथि नियत करती है.

Raipur, the 16th July, 2004

No. 4130/3668/04/19/Tak.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of section 1 of Chhattisgarh Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003), the State Government, hereby appoints the date 15 August, 2004 to come into force the Chhattisgarh Rajmarg Adhiniyam, 2003 (No. 12 of 2003).

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2004

क्रमांक एफ-1-35/2004/13-1.—राज्य शासन ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 19 की उपधारा (दो) तथा धारा 57 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 283/ऊ.वि./विनिआ/2003, दिनांक [illegible]-8-2003 एवं अधिसूचना क्रमांक 403/स/ऊ.वि./2003, दिनांक 1-10-2003 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हेतु वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें नियम, 2003 बनाया था. चूंकि विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 निरसित हो गया है तथा उसकी जगह अब विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36 सन् 2003) राज्य में प्रभावशील हो गया है अतएव उक्त नियम, 2003 इस अधिनियम के भाग-दस की धारा 89 की उपधारा (2) एवं (3) में प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत बनाया गया, माना जायेगा यत: अधिसूचित.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष [illegible]

रायपुर, दिनांक 29 मई 2004

क्रमांक एफ-1-35/2004/13-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-5-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार शुक्ला, विशेष सचिव.

Raipur, the 29th May, 2004

No. F-1-35/2004/13-1.—The State Government had, vide this departments Notification No. 288/ED/OSD/2003, dated 23-8-2003 and Notification No. 403/S/ED/2003, dated 1-10-2003, in exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 19 and sub-section (i) of section 57 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998, formed the Chhattisgarh Electricity Regulatory Commission (pay, allowances and conditions of services of the chairperson and member) Rules, 2003. Whereas the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 has ceased and now the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) has come into force in the State, the rules 2003 will be deemed as to have been formed in exercise of the powers conferred by sub-section (2) & (3) of section 89 of part X of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ATUL KUMAR SHUKLA, Special Secretary.

शिक्षा (तकनीकी शिक्षा) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2004

क्रमांक एफ 1-26/2003/42.—राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ त्रिवर्षीय संविदा सेवा नियम, 2002 में कंडिका-12 के उपरान्त कंडिका-13 अन्तःस्थापित किया जाये :—

"उपरिलिखित के अलावा यह और भी कि शासन द्वारा आदेश क्रमांक 1-82/95/42-1, दिनांक 15-11-1995 में निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित ऐसे संविदा व्याख्याता जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र में कार्यरत थे एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पोलीटेक्निकों में अंशकालीन व्याख्याता के रूप में कार्यरत है, को उनकी संबंधित संस्था के प्रमुखों द्वारा यह प्रमाणित किये जाने पर उनका शैक्षणिक कार्य संतोषप्रद है, के अधीन संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. राजू, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

फा. क्र. 4345/डी-1740/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ.ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री हिन्छाराम यादव, अधिवक्ता, उत्तर बस्तर, कांकेर को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कांकेर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक 685/बी. 14/12/2004/14-2.—राज्य शासन इस विभाग की जारी अधिसूचना क्रमांक 537/बी-14/12/2002/14-2 दिनांक 11-6-2002 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के संचालक मंडल को सदस्य हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित तीन कृषकों को नामांकित करता है :—

1. छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र से — श्री भोजराम राजवाड़े, ग्राम कनकी तहसील/जिला कोरबा
2. बस्तर का पठार से — श्री चन्द्रशेखर जोशी ग्राम टोकापाल जिला बस्तर
3. उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र से — श्री प्रियतम सिंह कंवर ग्राम पो. बहरासी तहसील भरतपुर, मनेन्द्रगढ़

उपरोक्त नामांकित सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. एल. जैन, उप-सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2004

क्रमांक एफ 7-6/दो (तीन-जेल)2003.—कारागार अधिनियम, 1894 (क्र. 9 सन् 1894) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जेल नियम, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 820 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (3) अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(3) कतिपय विनिर्दिष्ट अवसर पर मीडिया पर्सन्स/फोटोग्राफरों को, जेल के अंदर प्रवेश की लिखित रूप से अनुमति दिये जाने के प्रयोजन हेतु, जेल महानिरीक्षक/संबंधित जिलाधीश प्राधिकृत होंगे."

Raipur, the 16th June 2004

No. 7-6/Two (Three-Jail) 2003.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894) the State Government hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Prisons Rule, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

After sub-rule (2) of rule 820 the following sub-rule (3) shall be inserted, namely :—

" (3) on certain specific occasion for grant of written permission to media persons/photographers to enter into the jails, the I.G. Prisons/concerning District Collector are authorised for the purpose."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मण्डावी, उप-सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2004

क्रमांक एफ-9-18/गृह/दो/04.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 21-1-2004 को प्रश्नपत्र "व्यवहारिक परीक्षा" विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र बिलासपुर

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1.	श्रीमती राजश्री मिश्रा	उप पुलिस अधीक्षक
2.	श्रीमती श्वेता सिन्हा (श्रीवास्तव)	उप पुलिस अधीक्षक

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 2736/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	जामरी प. ह. नं. 74/13	6.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 के निर्माण में शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय, डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 मई 2004

क्रमांक 2737/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	मुड़पार प. ह. नं. 90/29	7.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	जामरी व्यपवर्तन क्र. 2 के निर्माण में शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 4114/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	दुर्रेटोला प. ह. नं. 21	10.840	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना (जल संसाधन संभाग) अं. चौकी.	मोंगरा परियोजना के बांध एवं डुबान क्षेत्र के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जून 2004

क्रमांक 4136/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	बसंतपुर प. ह. नं. 66	73.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	खैरबना जलाशय के डुबान/बांध पार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 जुलाई 2004

क्रमांक 4573/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पुरैना प. ह. नं. 67/8	1.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	मनकी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 17 जुलाई 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/95-96/1/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कमेला	158.45	कार्यपालन यंत्री, टी.डी.पी.पी.जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 14 जुलाई 2004

क्रमांक 960/ले.पा./भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	चिचलेगोंदी	0.12	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु संभाग, रायपुर.	चिचलेगोंदी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी पाटन (मुख्यालय दुर्ग) में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 14/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	गतौरा	0.03	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत के लिए साइडिंग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	उस्लापुर	0.22	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	गिधरानार	0.15	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 17/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	मंडई	0.02	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 18/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	कौड़िया	0.08	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 19/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	सीपत	0.18	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत पावरप्लांट निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 20/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	देवरी	0.08	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 जून 2004

क्रमांक 21/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	खैरा	0.10	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी., सीपत	एन.टी.पी.सी. सीपत एम. जी. आर. निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 जुलाई 2004

क्रमांक 3/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	सलहया	7.50	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	भरत सागर जलाशय के नहर निर्माण के लिये

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 जनवरी 2004

क्रमांक 612/भू.अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मातेखेड़ा, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
656/1	0.26
657	0.12
योग 2	0.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सीताकसा व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2004

क्रमांक 3357/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कारूटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-38.82 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
42/5	0.05
42/7	0.15
42/6	0.06
42/8	1.00
50/2	0.40
51/1	1.25
51/2	1.20
79/2	1.00
78	8.50
80	2.94
111	1.48
113	0.90
114/2	0.03
116	1.56
79/1	10.53
79/3	0.65
75	1.00
76/1	1.32
76/2	0.88
77	0.45
52	1.03
94	1.44
110	1.00
योग	38.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कारूटोला जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 31 मई 2004

क्रमांक 3358/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-डोंगरगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कनेरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.12 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
10	0.17
11	0.11
9	0.28
14	0.92
69	0.69
70/2	0.23
70/3	0.24
75/1	0.13
75/2	0.05
73	0.17
76	0.25
120	0.34
79	0.46
119	0.08
योग	4.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कारूटोला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 1 जून 2004

क्रमांक 3372/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-चौकी

(ग) नगर/ग्राम-मोंगरा, प.ह.नं. 21

(घ) लगभग क्षेत्रफल-64.235 हे.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
258/5	0.182
258/12	0.182
258/2	0.809
142	1.225
216/2	1.011
216/1	1.546
199/1	0.008
258/8	0.174
258/7	0.158
258/10	0.182
225/1	0.421
170	0.709
242	0.372
258/4	0.093
258/11	0.182
503/3	0.129
198	0.210
143/2	0.866
144	0.146
145/2	0.328
147/6	1.517
503/2	1.295
495/8	0.652

(1)	(2)	(1)	(2)
146/3	0.235	215/6	0.121
209	0.150	145/1	0.166
199/6	0.004	155/2	0.016
146/1	0.251	147/1	0.113
208	0.150	163/1	0.324
165	0.420	147/2	0.259
167	0.514	163/2	0.324
146/4	0.194	147/3	0.364
147/4	0.154	169/1	0.182
147/7	0.405	147/5	0.486
155/1	0.559	169/2	0.369
153	0.409	172/1	0.316
159	0.028	172/2	0.280
162	0.397	172/3	0.040
184	0.324	173/4	0.278
218	0.271	180/1	0.493
222/2	0.157	190/2	0.109
244	0.008	215/2	0.093
247	0.097	194/2	2.023
256	0.328	180/3	0.243
258/6	0.154	190/3	0.179
497	0.809	215/1	0.364
146/5	0.235	154	0.388
146/6	0.235	186	0.247
199/4	0.008	234	1.268
158	0.162	236	0.388
185	0.223	249	0.866
243	0.202	251	0.283
219	0.413	212	0.101
215/5	0.105	197	0.295
199/3	0.008	499/1	3.561
199/5	0.008	499/2	0.210
210	0.097	505	2.464
258/9	0.182	253	2.473
495/6	0.388	152	1.032
148	1.727	160	0.020
187	0.348	183	0.150
233	0.717	220	0.247
248	0.061	222/1	0.681
173/1	0.304	232	0.372
190/1	0.146	246	0.101
211	0.097	201	0.247
215/3	0.113	195	0.049

(1)	(2)
202	0.194
258/13	0.182
503/1	0.725
151	0.765
157	0.178
188	0.413
224	0.696
237	1.324
240	0.332
245	0.081
250	1.206
204/2	0.045
200	0.049
150	0.510
182	0.388
239	0.178
241	0.162
255	0.474
500	0.514
221	0.121
252	0.644
257	0.271
141	0.611
149	0.291
156	0.032
161	1.534
189	0.5[illegible]
223	0.729
238	0.223
254	0.624
235	0.345
121	0.426
199/2	0.008
173/2	0.247
173/3	0.271
180/2	0.421
190/4	0.109
215/4	0.219
206	0.299
योग 147	64.235

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोंगरा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 जून 2004

क्रमांक/क/अ.वि.अ./03 अ-82, 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-अभनपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-49.72 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
459	0.85
460	0.90
461	0.88
462	1.82
464	1.00
465	1.64
466	1.70
467	0.95
469	0.58
472	0.58
473	0.32
474	0.91
463	0.82
475	0.65
476	0.65
493	2.11
499	0.20
510	0.23
512	0.41
524	0.55

(1)	(2)
527	0.53
547	0.12
548	0.19
549	0.24
558	0.20
565	0.05
566	0.05
572	0.18
573	0.14
477	0.51
479	0.51
478	0.58
484	0.15
486	0.30
480	0.36
481	0.04
482	0.56
488	0.54
489	0.97
492	0.67
498	1.08
501	0.74
504	0.13
507	0.27
514	0.29
522	0.47
528	0.25
535	0.34
538	0.50
551	0.37
554	0.55
483	0.19
485	0.15
490	0.04
491	1.02
487	0.54
525	0.09
526	0.17
559	0.10
500	1.03
495	0.15
503	0.16
556	0.31

(1)	(2)
509	0.18
506	0.40
552	0.78
513	0.28
536	0.32
562	0.01
515	1.14
560	0.09
426	0.05
497	0.71
517	0.16
518	0.10
519	0.09
520	0.19
521	1.29
425	0.42
516	0.63
508	0.18
511	0.28
523	0.28
537	0.11
550	0.32
530	0.16
531	0.50
534	1.80
532	0.18
533	0.58
539	0.79
540	0.04
541	0.02
555	0.43
542	0.01
543	0.01
561	0.20
563	0.21
567	0.05
568	0.04
569	0.05
570	0.10
571	0.35
574	0.05
575	0.08
576	1.31

(1)	(2)
583	0.11
415	0.18
417	0.13
418	0.13
419	0.15
424	0.22
414	0.20
416	0.07
416	0.07
योग 114	49.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है - पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.